भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5560

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री-जनमन योजना के अंतर्गत मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ

5560. डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री-जनमन योजना के अंतर्गत सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीधी, सिंगरौली और बेओहारी क्षेत्रों में स्थित जनजातीय बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ (एमएमयू) तैनात की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इन मोबाइल चिकित्सा इकाइयों द्वारा कवर की गई जनजातीय बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से नैदानिक परीक्षण और दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और यदि हाँ, तो किए जा रहे नैदानिक परीक्षणों और उपलब्ध कराई जा रही विशिष्ट दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के संचालन के बाद जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य परिणामों में कोई गुणात्मक सुधार दर्ज किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई व्यापक जागरूकता अभियान या प्रचार उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): दुर्गम भूभाग वाले और अल्पसेवित दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) को सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए नियमों में ढील दी गई है। मैदानी जिलों में 2 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की तुलना में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला अधिकतम 4 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की अनुमति दी जाती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले क्षेत्रों में एनएचएम मानकों में छूट देकर इसे प्रति जिला 10 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों तक किया गया है। एमएमयू पोर्टल के अनुसार, दिनांक 18.02.2026 तक पीएम-जनमन के तहत 815 एमएमयू पूरे देश में जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संचालित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सीधी संसदीय क्षेत्र सहित 21 जिलों के 87 ब्लॉकों के 1268 पीवीटीजी गांवों को पीएम-जनमन के तहत 66 एमएमयू द्वारा कवर किया गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों को आवश्यक दवाएं और नैदानिक परीक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एनएचएम के तहत नि:शुल्क दवा सेवा पहल और नि:शुल्क निदान सेवा पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से 13 परीक्षण और 65 दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या पर समय-समय पर डेटा संग्रह करने के लिए विभिन्न तंत्र और सर्वेक्षण एजेंसियां मौजूद हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) देश भर के सभी उच्च-भार वाले जनजातीय जिलों में स्वास्थ्य परिणामों में हुए प्रमुख परिवर्तनों का विवरण प्रदान करता है। भारत की जनगणना जनजातीय क्षेत्रों सहित जनसंख्या और परिवारों का विवरण प्रदान करती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर घरेलू सर्वेक्षण प्रदान करता है। एनएफएचएस-5 के प्रमुख संकेतकों की राज्यवार सूची नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है:

https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/publication.php

स्वास्थ्य शिविर जैसी आउटरीच पहल और आशा कर्मियों द्वारा समुदाय के लोगों को जुटाने की गतिविधियां भी दूरदराज के इलाकों सहित दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और जागरूकता फैलाने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं।
